"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 A).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16) दिनांक 01-04-2006 में दिनांक 01-04-2011 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अ. क्र. 18, 59, 68, 91 तथा 98 से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 A).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 A), दिनांक 31-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 31st March 2011

NOTIFICATION

No. F-10/23/2011/CT/V(23 A).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in notification No. F-10/28/2006/CT/V (16) dated 01-04-2006, with effect from 01-04-2011 :—

AMENDMENT

In the said notification for the S. No. 18, 59, 68, 91 and 98 to relating entries shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 B).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन्-2005) की धारा 58 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/39/2006/वाक/पांच (32) दिनांक 13-04-2006 को दिनांक 01-04-2011 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है :—

2. यह अधिसूचना दिनांक 31-03-2012 तक प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 B).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 B), दिनांक 31-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 31st March 2011

NOTIFICATION

No. F-10/23/2011/CT/V(23 B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby rescinds the notification No. F-10/39/2006/CT/V (32) dated 13-04-2006 with effect from 01-04-2011 :—

2. This notification shall be effect up to 31-03-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 C).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-04-2011 से 31-03-2012 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	गाय के गोबर, गो मूत्र एवं पंचगव्य से निर्मित समस्त उत्पाद.	संपूर्ण कर	
2.	सुगंधित एवं औषधीय पौधों का अर्क (तेल)	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ राज्य में कृषक द्वारा स्वयं उत्पादित पौधों से अर्क निकालकर विक्रय किया जाए.
3.	साबूदाना, राजगीरा, मगज, तिखुर, फाफर एवं सिंघाड़ा.	संपूर्ण कर	
4.	राल, धूप, मौली, कमलगट्टा, चंदन, जनेऊ, दशांग, हवन लकड़ी, गुगल, चंदन-चूरा, भोजपत्र, लोभान.	संपूर्ण कर	
5.	बैटरी चलित इलेक्ट्रिक कार	संपूर्ण कर	
6.	रु. 250/- मूल्य तक के प्लास्टिक के जूते चप्पल.	संपूर्ण	
7.	पुरानी कार	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1% हो जाए.	जब ऐसी कार पर प्रदेश में मूल्य संवर्धित कर लग चुका हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	स्टील वायर मेश (स्टील तार से निर्मित जाली)	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5% हो जाए.	
9.	गैस चूल्हा	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5% हो जाए.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 C).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 C), दिनांक 31-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 31st March 2011

NOTIFICATION

No. F-10/23/2011/CT/V(23 C).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said act to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2011 to 31-03-2012 :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	All product of manufactured by cow dung (gobar), gou mutra and panchgavya.	Whole of tax	
2.	Abstract (oil) of scented and medicinal plant	Whole of tax	When abstracted and sold by formers within Chhattisgarh State from his own grows plant.
3.	Sabudana, Rajgira, Magaj, Tikhur, Phafar and Singhada.	Whole of tax	

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Rall, Dhoop, Mouli, Kamalgatta, Chandan, Janeu, Dashang, Hawan wood, Gugal, Chandan Chura, Bhojpatra, Lobhan.	Whole of tax	
5.	Battery operated electric car	Whole of tax	
6.	Footwear Made of plastic (the maximum retail sale price of which does not exceed rupees two hundred fifty).	Whole of tax	
7.	Second hand car	Partly so as to reduce the rate of tax to @ 1%	When suffered VAT on such car in the state.
8.	Steel wire mash	Partly so as to reduce the rate of tax to @ 5%	
9.	Gas stove (Chulha)	Partly so as to reduce the rate of tax to @ 5%	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 D).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं के उपबंधों के क्रियान्वयन से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तारीख 1 अप्रैल, 2011 से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

व्यापारियों का वर्ग (1)	धाराएं जिनसे छूट दी गई है (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्यधीन छूट दी गई है (3)
व्यापारी जो कि सामान्यत: टेन्ट हाऊस के नाम से जाने जाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (ध) के उपखण्ड (छ:) में सम्मिलित माल का उपयोग करने के अधिकार के अंतरण का, नगदी, आस्थगित भुगतान तथा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में अनन्य रूप से व्यवसाय करते हैं और जो अधिनियम की धारा 8 के अधीन कर का भुगतान करने के दायी है.	धारा 8, 19 एवं 21	1. जबकि कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारी समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को संलग्न प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करता है तथा वर्ष प्रारम्भ होने के तीस दिवस के भीतर फीस रुपये तीन हजार प्रतिवर्ष जमा करता है. 2. यदि किसी भी समय यह पाया जाए कि व्यापारी ने कोई असत्य या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की हैं, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर निर्धारण तथा शास्ति आरोपण के लिए दायी होगा.

प्रारूप

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी

....

....

मैं .... (नाम) प्रोप्रायटर/पार्टनर/डायरेक्टर .... नाम से माल के उपयोग करने के अधिकार के अंतरण का नगदी, आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में अनन्य रूप से व्यवसाय करता हूं और मैं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अधीन कर चुकाने का दायी हूं.

2. मेरे व्यवसाय का मुख्य स्थान .... (पता) में स्थित है तथा अतिरिक्त व्यवसाय का स्थान .... (पता) है.

3. मैं अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट फीस बाबत् रुपये .... (अंकों में) .... (शब्दों में) का चालान क्रमांक .... दिनांक .... इसके साथ संलग्न कर रहा हूं.

उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि किसी भी समय यह पाया जाए कि, दी गयी जानकारी असत्य या त्रुटिपूर्ण है, तो मैं अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर निर्धारण तथा शास्ति के आरोपण के लिए दायी होऊंगा.

दिनांक ....

व्यापारी के हस्ताक्षर
एवं सील

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 D).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23 D), दिनांक 31-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 31st March 2011

NOTIFICATION

No. F-10/23/2011/CT/V(23 D).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, the class of dealer as specified in column (1) of the Schedule below from the operation of the provisions of the Sections

of the said Act as specified in column (2) with effect from 1st April, 2011 subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

Class of dealers (1)	Section from which exemption is granted (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Dealers, commonly known as tent houses, doing exclusively the business of transferring the right to use goods, covered in sub-clause (vi) of clause (s) of section 2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for cash, deferred payment of other valuable consideration, who are liable to pay tax under Section 8 of the Act.	Section 8, 19 and 21	1. When the dealer specified in column (1) furnishes a declaration in the appended form to the appropriate Commercial Tax Officer and deposits a fee Rs. Three thousand, per year, within thirty days of the commencement of the year. 2. If any time it is found that the dealer has given false or incorrect information, he shall be liable to be assessed to tax and imposition of penalty according to the provisions of the Act.

FORM

To,

The Commercial Tax Officer,
....
....

1. I ....(name), Proprietor/Partner/Director, carry on exclusively the business of transferring the right to use goods for cash, deferred payment or other valuable consideration in the name of .... and I am liable to pay tax under Section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

2. My principal place of business is situated at .... (address) and additional place of business at .... (address).

3. I am enclosing herewith a Challan No. .... dated .... for Rs. .... (in figures) .... (in words) towards the fee as specified in the notification.

The above statements are true to my knowledge and belief and if at any time it is found that the information given is false or incorrect, I shall be liable to assessed to tax and imposition of penalty under the provisions of the Act.

Date ....

....
Dealer's Signature
with seal.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.